राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल विविध अपील सं. 581/2002

1. चेयरमैन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के माध्यम से, जयपुर (राज.)।

2. प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो उदयपुर, उदयपुर ----अपीलकर्ता।

बनाम

1. श्रीमती गीता विधवा स्वर्गीय श्री राधे श्याम मेनारिया।

2. कालूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री राधे श्याम मेनारिया (नाबालिग) अपने स्वाभाविक संरक्षक (माता) श्रीमती गीता विधवा स्वर्गीय श्री राधे श्याम मेनारिया के माध्यम से।

3. मनोहर लाल पुत्र हंसराज मेनारिया।

4. सुहागी पत्नी मोहन लाल मेनारिया।

सभी निवासी तातरमाला, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

5. गोविंद सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी धरियावद, वर्तमान में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के चालक, डिपो वर्कशॉप, अहमदाबाद रोड, उदयपुर---- गैर दावेदार।

----प्रतिवादी।

संबद्ध मामले-

एस. बी. सिविल विविध अपील सं. 363/2003

1. चेयरमैन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के माध्यम से, जयपुर (राज.)।

2. प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो उदयपुर, उदयपुर ----अपीलकर्ता।

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी पत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल मेनारिया।

2. अम्बा लाल पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल मेनारिया।

3. जमना लाल पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल मेनारिया।

सभी निवासी तातरमाला, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़---- गैर दावेदार।

----प्रतिवादी।

अपीलकर्ता(ओं) के लिए:- श्री दिनेश कुमार जोशी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री दिलीप कवाडिया,सुश्री राखी चौधरी।

माननीय जस्टिस श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

15/02/2024

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा याचिका संख्या क्रमशः 218/2001 और 219/ 2001 में सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.2002 के लिए है। आदेश से असंतुष्ट

होने के कारण, ये अपीलें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में, "द आर. एस. आर. टी. सी".) के कहने पर की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी के स्वामित्व वाली बस शामिल थी।

2. दावेदारों द्वारा दिया गया विवरण इस प्रकार है:- 07.12.1997 को लगभग 11:00 बजे, पुलिस स्टेशन डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकार क्षेत्र में बडवाई माजरा से पीपली खेरा रोड पर, आरएसआरटीसी बस का चालक गोविंद सिंह बस नं. आर. जे.-27-पी.-1468 बहुत तेज गति से और उसके उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणामस्वरूप, बस सड़क के गलत तरफ मुड़ गई और पंजीकरण संख्या आरपीजेड-5633 वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। जिसे मृतक राधे श्याम चला रहा था। एक अन्य मृतक सोहन लाल पिछली सीट पर सवार थे। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार राधे श्याम और सोहन लाल दोनों को गंभीर चोटें आईं।

3. दोनों मृतक के आश्रितों ने आर. एस. आर. टी. सी. और बस के चालक से विभिन्न शीर्षों में मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की। आर. एस. आर. टी. सी. और बस के चालक ने अपनी जल्दबाजी और लापरवाही पर कड़ा विरोध जताया, हालांकि, दावा न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना का कारण पूरी तरह से आर. एस. आर. टी. सी. बस चालक गोविंद सिंह की जल्दबाजी और लापरवाही था और विभिन्न शीर्षों के तहत दावेदारों को मुआवजा दिया। इन निर्णयों ने आर. एस. आर. टी. सी. की अपीलों को जन्म दिया है।

4. अपीलार्थी-आर. एस. आर. टी. सी. की ओर से पेश विद्वान वकील श्री दिनेश कुमार जोशी ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करने में उचित नहीं था, न्यायाधिकरण अपने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की विवेचना करने में विफल रहा है और ऐसा दृष्टिकोण कानून के विपरीत है। न्यायाधिकरण ने बस के चालक की जल्दबाजी और लापरवाही के

तथ्य को निर्धारित करने में एक बहुत ही लापरवाह दृष्टिकोण अपनाया है और गलत निष्कर्ष निकाला है कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण हुई थी।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने बचाव किया कि दावेदारों द्वारा कोई प्रत्यक्षदर्शी सबूत पेश नहीं किया गया था जो बस चालक की जल्दबाजी और लापरवाही को स्थापित करेगा। इसके विपरीत, आर. एस. आर. टी. सी. के बस चालक और कंडक्टर ने मुकदमे के दौरान खुद को यह साबित करते हुए गवाही दी कि दुर्घटना पूरी तरह से मोटरसाइकिल चालक यानी मृतक राधे श्याम की जल्दबाजी और लापरवाही से हुई थी। न्यायाधिकरण के लिए उनके बयानों की विश्वसनीयता पर अविश्वास करने और उनके साक्ष्य को केवल हितकारी गवाहों के साथ व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

6. उपरोक्त के अलावा, विद्वान वकील ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दावेदारों द्वारा घटना के स्थान का नक्शा मौका साक्ष्य में प्रस्तुत और साबित नहीं की गई थी। इसलिए न्यायाधिकरण ने इस पर अत्यधिक निर्भरता रखने में गलती की। उनके अनुसार, पूर्ण आरोप-पत्र के बजाय केवल आरोप-पत्र का निष्कर्ष पृष्ठ (प्रदर्श-1) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आरोप-पत्र के अन्य दस्तावेज जैसे नक्शा मौका, स्थल विवरण फर्द, मोटरसाइकिल की यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान आदि को सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। पूरा आरोप पत्र "रेस-इप्सालोक्विटुर" के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण था। उनके अनुसार, आरोप पत्र के केवल कुछ कागजात दावा याचिका की सफलता का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं और यहां तक कि प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6 तक सक्षम

और लेखक गवाहों द्वारा साबित नहीं किए गए थे। इसलिए, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण कानून के विपरीत था।

7. वह अंत में प्रस्तुत करता है कि बस चालक की जल्दबाजी और लापरवाही के पहलू पर दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलट दिया जाए, इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया जाए। अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए और दोनों दावे याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, दावेदारों के विद्वान वकील श्री दिलीप कावाडिया ने न केवल आक्षेपित निर्णय और आदेशों का समर्थन किया है, बल्कि मुआवजा राशि में वृद्धि के लिए भी तर्क दिया है, यह कहते हुए कि मुआवजा राशि मृतक की आय, गुणक आवेदन और की गई कटौती को देखते हुए कम है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दावेदारों के कथनों के समर्थन में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी।

9. आगे यह भी बताया गया कि दावेदारों के लिए दुर्घटना के तथ्य और तरीके को सख्ती से साबित करना आवश्यक नहीं था। दावेदारों के लिए एक विशिष्ट तरीके से किसी विशेष वाहन के कारण हुई दुर्घटना का ठोस प्रमाण साबित करना संभव नहीं हो सकता है। दावेदारों को केवल संभावना की प्रधानता के सिद्धांत के आधार पर अपना मामला स्थापित करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त दलीलों के आलोक में, यह तर्क दिया जाता है कि बस चालक की ओर से जल्दबाजी और लापरवाही के मुद्दे पर न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उन्होंने दोनों मुआवजा की राशि में पर्याप्त वृद्धि का अनुरोध करते हुए अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया।

10. बार में पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना गया तथा विवादित सामान्य निर्णय/अधिनियमों का अवलोकन किया गया तथा न्यायाधिकरण के अभिलेखों का भी

अवलोकन किया गया।

11. मैंने संपूर्ण निर्णय का अवलोकन किया है। इसके अवलोकन से यह न्यायालय पाता है कि दुर्घटना के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। एकमात्र विवाद यह है कि दुर्घटना बस के चालक गोविंद सिंह द्वारा तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई या मृतक राधेश्याम द्वारा तेज गति से और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के कारण हुई।

12. न्यायाधिकरण ने आर. एस. आर. टी. सी. के बस चालक के खिलाफ रखे गए दावेदारों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए मुख्य रूप से कहाः -

"..... परिचालक और ड्राईवर का बयान हितबद्ध हैं क्योंकि घटना अपने आप में दर्शाती है कि जब एक ट्रक आ रही थी तो ट्रक को ओवरटेक रोड़वेज बस ने किया। बस में 50–60 सवारियां थी और पुलिस ने बाद तफ्तीश गवाह गोविन्द सिंह ड्राईवर के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ओवरटेक करते समय शिवकरण सिंह के बयानों के अनुसार बस की स्पीड 50–60 किलो मीटर प्रति घण्टा थी। गवाह का कथन है कि वह कन्डक्टर था और आगे की तरफ वह टिकिट काट रहा था। नक्शा मौका सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सम्भव हैं कि रोड़वेज का बस चालक और कंडक्टर अपनी गलती नहीं बतायेंगे और जो नक्शा मौका बनाया गया है वह स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा बनाया गया है और उसी के आधार पर निश्कर्ष पुलिस ने निकाला हैं। गवाहान के बयान लेकर पुलिस ने यह सम्पूर्ण तफ्तीष और धटना निरीक्षण स्थल के आधार ड्राईवर गोविन्दसिंह द्वारा रोड़वेज बस को गफलत एवं लापरवाही से तेज रफ्तार से चलाकर कानोड़ से भीण्डर पीपली खेड़ा के पास सामने से बुलट मोटरसाइकिल जो आ रही थी, के टक्कर मारी जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे राधेश्याम व सोहनलाल की मृत्यु हुई है और पुलिस ने इसी आधार पर आरोप पत्र पेश किया है। अतः बस ड्राईवर की गफलत एवंम लापरवाही प्रथमदृष्टया मानी जाती है।"

13. यह न्यायालय यह पता नहीं लगा सकता है कि क्या "प्रथम दृष्टया" शब्द का उपयोग न्यायाधिकरण द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया गया था, क्योंकि मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं के निर्धारण में कोई प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

न्यायाधिकरण अपना अंतिम निर्धारण और निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

14. इसके अलावा, मैं पाता हूँ कि दावेदारों द्वारा दुर्घटना के तरीके के बारे में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवादित तथ्य यह था कि दोनों में से कौन ड्राइवर जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। मनोहरलाल (पीडब्लू-1) मृतक राधे श्याम के पिता हैं और जमना लाल (पीडब्लू-2) मृतक सोहन लाल के पुत्र हैं। वे दोनों घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। बस के चालक और संचालक गोविंद सिंह (एन. ए. डब्ल्यू.-1) और शिव करण सिंह (एन. ए. डब्ल्यू.-2) ने इस मामले में गवाही दी है और दावा किया है किः-

"एक मेटाडोर वाहन सामने की ओर से आया और उसका चालक रास्ता बनाने के लिए किनारे की ओर मुड़ गया। सामने से दो सवारों के साथ एक लहराती मोटरसाइकिल दिखाई दी। उन्होंने चारों पहियों को सड़क से हटा दिया और बस को पूरी तरह से रोक दिया। हालाँकि, इन सावधानियों के बावजूद, मोटरसाइकिल सवार सामने की ओर बस से टकरा गया। दुर्घटना मोटरसाइकिल सवार की जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। "कंडक्टर शिवकरण सिंह (एन. ए. डब्ल्यू.-2) ने यह भी कहा कि," हमारी बस धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, सड़क के दाहिने तरफ रह रही थी और मोटरसाइकिल को देखते ही सड़क से उतर गई थी। मोटरसाइकिल चालक की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई।"

15. दोनों वाहनों को चलाने के तरीके के संबंध में मुकदमे के दौरान उपरोक्त एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य दर्ज किया गया था।

16. न्यायाधिकरण ने बस के चालक और कंडक्टर दोनों के बयान को स्वीकार नहीं किया है और उन्हें "हितधारक गवाह" माना है और आरोप-पत्र के निष्कर्ष पृष्ठ (प्रदर्श-1) पर भरोसा किया है, जबकि आरोप-पत्र के शेष कागजात रिकॉर्ड पर नहीं हैं। घटना स्थल की कोई

नक्शा मौका, कोई अपराध स्थल विवरण फर्द और आरोप पत्र का कोई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नीचे दिए गए पांच दस्तावेजों को छोड़कर प्रस्तुत नहीं किया गया थाः-

प्रदर्श-1: आरोप पत्र का निष्कर्ष पृष्ठ

प्रदर्श-2: औपचारिक प्राथमिकी

प्रदर्श-3: राधे श्याम और सोहन लाल का पीएमआर

प्रदर्श-4: बस की यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट

प्रदर्श-5: बस की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

17. अब यह प्रश्न मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या केवल उपर्युक्त पांच दस्तावेजों के आधार पर और इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, बस चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने को न्यायाधिकरण द्वारा सिद्ध माना जा सकता था।

18. मोटर दुर्घटना दावा मामलों में जल्दबाजी और लापरवाही के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।

19. निस्संदेह, दावा मामलों से निपटने के दौरान न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का दृष्टिकोण घटनास्थल पर घटनाओं के मोड़ या गवाहों को पेश करने और दुर्घटना की जानकारी एकत्र करने में दावेदारों को आमतौर पर होने वाली कठिनाइयों की पहचान करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए, विशेष रूप से जब वे स्वयं दुर्घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि मोटर दुर्घटना के दावे के मामलों में आपराधिक मामले की तरह साक्ष्य के सख्त सिद्धांत और प्रमाण के मानक लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में मानक प्रमाण एक उचित संदेह से परे सिद्धांतों के बजाय संभावनाओं की प्रधानता में से एक है।

20. न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दावा मामलों की योग्यता की जांच करते समय न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों का दृष्टिकोण केवल पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण करने के लिए होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दावेदारों का कथन सच होने की अधिक संभावना है या नहीं। न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य प्रस्तुत करने में पक्षों की विफलता से भी उचित निष्कर्ष निकालना चाहिए। ऐसी विफलता के कानूनी प्रभाव को न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

21. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन और मूल्यांकन नहीं किया है, जिसे अपनाने की आवश्यकता थी।

22. यह परिस्थिति कि आरोप पत्र के निष्कर्ष पृष्ठ (प्रदर्श-1) से पता चलता है कि केवल बस चालक गोविंद सिंह ने लापरवाही की थी, एक प्रासंगिक कारक हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से यह एकमात्र निर्णायक कारक नहीं था। बस चालक गोविंद सिंह और संचालक शिव करण सिंह के बयान भी रिकॉर्ड में उपलब्ध थे जो दोनों चालकों के गाड़ी चलाने के तरीके के संबंध में समान रूप से महत्वपूर्ण कारक थे। दीवानी मामलों का निर्धारण केवल उस विशिष्ट मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस जांच के निष्कर्ष वर्तमान जैसे दीवानी मामले में निर्णय के लिए एकमात्र आधार के रूप में काम कर सकते हैं।

23. जहां एक ओर विद्वत न्यायाधिकरण ने बस चालक गोविंद सिंह को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस आधार पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया कि वह आर. एस. आर. टी. सी. के तहत काम कर रहे थे।

24. यह बहुत ही अस्वाभाविक लगता है। कानून अच्छी तरह से

तय है कि जब तक चालक अपने रोजगार के दौरान अपकृत्य करता है, तब तक नियोक्ता और चालक दोनों संयुक्त रूप से अपकृत्यकर्ता होते हैं। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं या प्रत्यावर्ती दायित्व के मामले में, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और कई होता है। प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण क्षति के लिए उत्तरदायी है और उन सभी के खिलाफ संयुक्त रूप से प्राप्त निर्णय, उनमें से किसी के भी खिलाफ पूर्ण रूप से निष्पादित किया जा सकता है।

25. ऐसे कारकों के आधार पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पहचान में एक गंभीर त्रुटि की और बस चालक और कंडक्टर के बयानों को केवल "हित" के आधार पर अस्वीकार करने में गलती और अवैधता की।

26. न्यायाधिकरण साक्ष्य और निष्कर्षों की पहचान में उचित नहीं था क्योंकि न्यायाधिकरण ने नक्शा मौका और आरोप पत्र के समापन पृष्ठ पर अत्यधिक निर्भरता रखी है। इसके अलावा, नक्शा मौका रिकॉर्ड में नहीं था। न्यायाधिकरण ने माना है कि आरोप पत्र घटना स्थल के फर्द नक्शा मौका के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि, किसी भी गवाह ने नक्शा मौका या आरोप पत्र के निष्कर्ष की सामग्री के बारे में नहीं बताया था।

27. उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण को नक्शा मौका और पुलिस जांच के निष्कर्ष पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं रखनी चाहिए थी। न्यायाधिकरण ने बिना किसी उचित कारण के बस के चालक और संचालक के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया है। सवाल यह था कि क्या संभावनाओं की अधिकता के आधार पर, दावेदारों का संस्करण बस चालक और कंडक्टर के बयान से अधिक संभावित था और इस प्रश्न का उत्तर उचित आधारों के आधार पर दिया जाना आवश्यक था।

28. न्यायाधिकरण ने ऊपर वर्णित सभी कारकों पर ध्यान नहीं

देने में गलती की थी। न्यायाधिकरण द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही के मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेते समय इन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए था। उपरोक्त सभी कारणों से, जल्दबाजी और लापरवाही के मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को दरकिनार करने की आवश्यकता है और इन्हें इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

29. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि बस चालक की जल्दबाजी और लापरवाही के मुद्दे पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की पहचान में बहुत ही लापरवाह दृष्टिकोण से दूषित हैं और इसलिए, ऊपर देखी गई चर्चाओं के आलोक में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं मामलों को न्यायाधिकरण को वापस भेजना उचित समझता हूं।

30. तदनुसार, दोनों अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.2002 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। दोनों मामलों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चित्तौड़गढ़ को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और आज से 3 महीने के भीतर सकारात्मक रूप से ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में दावा याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया जाता है। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

31. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। नीचे के न्यायाधिकरण का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेज दिया जाएगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।